वन और आजीविका

Himachal Pradesh Forest Sector Reforms Project
SUSTAINABLE LIVELIHOODS, SUSTAINABLE FORESTS

हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना का
एक ही नारा
सतत् वन प्रबन्धन और टिकाऊ आजीविका लक्ष्य हमारा

हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना

जन-जन तक सन्देश पहुंचाओ
कोटि-कोटि वृक्ष लगाओ

Himachal Pradesh Forest Sector Reforms Project
SUSTAINABLE LIVELIHOODS, SUSTAINABLE FORESTS

वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना के चार वर्ष

मैं, सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना के चार वर्ष पूर्ण होने पर, ½वन और आजीविका½के अन्तिम अंक के माध्यम से चयनित 85 पंचायतों के लोगों, पंचायती राज संस्थाओं, वन विभाग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, अन्य सहयोगी विभागों तथा परियोजना के विभिन्न घटकों मे कार्य कर रहे अधिकारियो एवं कर्मचारियों को परियोजना के सफल कार्यान्वयन में अपना सहयोग देने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिनके सहयोग से इस परियोजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक हो सका। इसके अतिरिक्त उन सभी पाठकों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने समय समय पर पत्र लिख कर हमारा उत्साहवर्धन किया।

विश्व के अधिकतर देश स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तियां तथा प्रभुत्व प्रदान करने के लिए लोकतान्त्रिक विकेंन्द्रीकरण प्रक्रिया के साथ प्रयोग कर रहे हैं। भारत भी उन देशों में से एक है जहां पर स्वशासन को मान्यता देने तथा सुदृढ़ीकरण हेतु संसद द्वारा 73 वां संशोधन 23 अप्रैल 1993 को किया गया। वैश्विकरण, उदारीकरण और स्वशासन के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह एक ऐसा कान्तिकारी कदम था जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूतबा प्राप्त हुआ।

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण और स्वशासन में उनकी सहभागिता की दिशा में हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना ने अहम भूमिका अदा की है जिसका अनुमान परियोजना की 85 पंचायतों में हो रहे कार्यों में लोगों के उत्साह से आंका जा सकता है। निस्संदेह परियोजना का कार्य, इन पंचायतों के विकास में चयनित प्रतिनिधियों, उपभोक्ता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा गांवों के विकास से जुड़े दूसरे विभागो के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में ब्रिटिश सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID) के सहयोग से वन विभाग द्वारा जनवरी 2003 में हिमाचल प्रदेश की 85 पंचायतों में आरम्भ की गई थी जो कि 31 मार्च 2007 को बन्द हो रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में वनों पर निर्भर अति गरीब महिलाओं व पुरुषों के चिरस्थायी आजीविका के साधनों में वृद्धि तथा सतत वन प्रबन्धन के लिए एकीकृत एवं व्यावहारिक कार्यनीति की स्थापना तथा क्रियान्वयन करना था। इस छोटे से अन्तराल में हमें परियोजना के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सफलता मिली हैं।

परियोजना के अन्तर्गत हमने लोगों की सहभागिता से हिमाचल प्रदेश के लिए बहुदावेदारी वाली वानिकी क्षेत्र नीति एवं रणनीति को विकसित किया। इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं, हिमाचल प्रदेश वन विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से वनों पर निर्भर अति गरीब महिलाओं और पुरूषों को सतत् आजीविका प्रदान करने हेतु एक सस्ते ढांचे को विकसित किया गया, जिससे स्थानीय वन सम्पदा का सही प्रबन्धन हो रहा है तथा साथ ही वनों की गुणवत्ता एवं क्षमता दीर्घकालीन अवधि तक रह पाएगी। इसके अतिरिक्त परियोजना कार्यान्वयन से प्राप्त ज्ञान तथा अनुभवों की रिपोर्टों, मासिक पत्रिका, अभिलेखों, कार्यशालाओं और अन्य माध्यमों द्वारा राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया गया।

इस परियोजना का कुल परिव्यय लगभग 60 करोड़ रूपये था जिसमें से लगभग 36 करोड़ रूपये वन विभाग के माध्यम से वित्तीय सहायता के रूप में खर्च किये गये तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID) द्वारा नियुक्त प्रबन्धन सलाहकारों के माध्यम से तकनीकी सहायता हेतु लगभग 24 करोड़ रूपये खर्च किये गये ।

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश भर के समस्त वन मण्डलों में 85 पंचायतों (Pilot sites) का चयन किया गया। इन पंचायतों का चयन करते समय ऐसी पंचायतों को तरजीह दी गई जहां पर वनों पर आश्रित निर्धन परिवारों और महिलाओं की संख्या अधिक थी और आजीविका के साधनों एवं विकल्पों को प्रदान करने में लोगों का सहयोग अधिकतम मिल सकता था।

पंचायत स्तरीय सूक्ष्म योजना बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना के अन्तर्गत अपनाई गई प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में ग्राम सभा के आम सदस्यों, वन विभाग तथा दूसरे विभागों का सहयोग नितान्त आवश्यक रहता है। इससे पंचायत के आम लोगों को विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ काम करने का अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है जोकि पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

परियोजना की नीति विश्लेषण एवं योजना इकाई द्वारा लोगों की सहभागिता से प्रदेश की जनता, वन भूमि से सम्बन्धित विभागों, प्रमुख दावेदारों, गैर सरकारी संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों से व्यापक विचार–विमर्श से 25 वर्षों के बाद नई वानिकी क्षेत्र नीति एवं रणनीति बनाई है।

नई वन नीति में प्राकृतिक स्रोतों, अमूल्य वन सम्पदा तथा समृद्ध जैव विविधता को स्थायित्व देकर, विभिन्न दावेदारों को इनके संरक्षण, संवर्धन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उपयोग एवं प्रबन्धन गतिविधियों में सक्रियता से शामिल किया गया है। वन क्षेत्रों को चरणबद्ध तथा नियोजित तरीके से विकसित करने तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, विशेषकर विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण, पुनर्वसान तथा विस्तार के लिए, नीति में विस्तृत रणनीतियों का प्रावधान किया गया है। नई वानिकी क्षेत्र नीति के कार्यान्वयन के लिए निरन्तर शोध कार्य करने, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नवीनतम जानकारियां जुटाने, नियमों तथा कानूनों में उचित संशोधन करने तथा वन क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं के लिए, आवश्यक अधिकारों का सृजन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन सभी कार्यों का समयबद्ध और सुचारू रूप से कार्यान्वयन किया जाएगा।

वन विभाग के सशक्तिकरण हेतु संस्थागत स्तर पर मानव संसाधन विकास इकाई (HRD Unit), अनुसंधान एवं विकास इकाई (R&D Unit), योजना प्रबन्धन एवं सूचना व्यवस्था इकाई (PMIS Unit) और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई (M&E Unit) इन चार विशेष इकाइयों को सुदृढ़ किया गया। इन इकाइयों ने वन विभाग की कार्य क्षमता एवं कार्य प्रणाली मे उत्थान एवं विकास में सहयोग प्रदान किया है।

परियोजना द्वारा वन क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों एवं निगमों को उनकी क्षमता बढ़ाने और सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2004–05 में 24 लाख रूपये की राशि तथा वर्ष 2005–06 में 51.5 लाख रूपये अनुदान के रूप में दिये गये जबकि वित्तीय वर्ष 2006–07 में कृषि, बागबानी, पशुपालन, हथकरघा एवं हस्त शिल्प निगम, वन निगम तथा बागबानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन को 89.61 लाख रूपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई।

गैर सरकारी संस्थाओं एवं पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं को वन प्रबन्धन और आजीविका उपार्जन के नए तरीकों को विकसित करने में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु परियोजना के अन्तर्गत "Good Idea Fund" योजना का शुभारम्भ किया गया है। परियोजना द्वारा वर्ष 2005 से 2007 तक "Big Good Idea Fund" के अर्न्तगत 1.02 करोड़ रूपये 23 गैर सरकारी संगठनों को वन प्रबन्धन तथा आजीविका उपार्जन के लिए नए तरीकों को विकसित करने के लिए प्रदान किए गये । इसी तरह Small Good Idea Fund योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रस्तावों को लगभग 50 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई।

सामुदायिक स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सभी चयनित पंचायतों (Pilot sites) में लोगों की भागीदारी से सूक्ष्म योजनाएं बनाई गई। सूक्ष्म योजनाओं में अन्य विभागों की परियोजनाओं का समावेश भी किया गया जिस का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का विकास, विकास सम्बन्धी पहल की एकीकृत रूप से तैयारी, प्रबन्धन व क्रियान्वयन के लिए पंचायतों एवम समूहों को शक्तिशाली बनाना एवं क्षमता विकसित करतें हुए आत्मनिर्भर बनाना हैं। इससे सूक्ष्म योजना को बनाते हुए वन क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों तथा ग्राम स्तरीय संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई हैं। पंचायत सूक्ष्म योजना में निहित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए चार वर्षों में परियोजना से लगभग 25–30 लाख रूपये प्रत्येक चुनी गई 85 पंचायतों को प्रदान किये गये हैं। इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायतों के माध्यम से वार्ड विकास समीति, उपभोक्ता समूहों तथा स्वयं सहायता समूहों तथा शेष 50 प्रतिशत वन विभाग द्वारा सूक्ष्म योजना में निहित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए व्यय किए गये है।

परियोजना के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश की 85 पंचायतों में उपभोक्ता समूहों तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के द्वारा लोगों को आजीविका के अनेक साधन, जिसमें पशुपालन, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, टोकरी बनाना, पत्तल बनाना, केंचुआ व जैविक खाद बनाना, हथकरघा, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी अनेक आजीविका उपार्जन गतिविधियां प्रमुख है का क्रियान्वयन किया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पौधरोपण, जल संग्रहण, टैंकों का निर्माण, भू–संरक्षण का निर्माण कार्य भी किया गया।

गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधनों का स्थानीय स्तर पर दोहन करने के लिए प्रदर्शनात्मक परिचय हेतु ऊर्जा एवं स्रोत संस्थान (TERI) नई दिल्ली की सहयता से सुन्दर नगर (मण्डी) तथा संजौली (शिमला) में 30 लाख रूपये की लागत से दो प्रकोष्ठ गैस शवदाहगृहों (Wood gasifier crematoria) का निर्माण किया गया । कुल्लू ज़िला में हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन (HESCO) की तकनीकी मदद से चयनित पंचायत मानगढ़ में दो घराटों (Pico Hydel Projects) से बिजली पैदा करने वाले संयन्त्र का निर्माण किया गया है जिसमें 8 किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, इससे इस पंचायत के 105 घरों को लघु विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

बिलासपुर ज़िला के स्वारघाट में 53 लाख रूपये की लागत से चेतना प्रशिक्षण केन्द्र तथा वन प्रशिक्षण केन्द्र सुन्दर नगर में 78 लाख रूपये की लागत से प्रशिक्षण परिसर का निर्माण किया गया है। इन केन्द्रों के माध्यम से विभाग के कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक माह के अन्तिम बुधवार को गिरिराज के माध्यम से **वन और आजीविका** विशेषांक प्रकाशित किया गया इस साप्ताहिक पत्र के माध्यम से परियोजनाओं मे हो रही विभिन्न गतिविधियों, सूचनाओं तथा महत्वपूर्ण जानकारियां 85 चयनित पंचायतों के अलावा दूसरे सभी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं तक पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त पाठकों द्वारा वन, आजीविका तथा परियोजना से सम्बन्धित पूछे गये प्रश्नों एवं आशंकाओं का उत्तर भी इसी विशेषांक के माध्यम से दिया गये।

परियोजनाओं के उददेश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर प्राप्त अनुभवों को कार्यशालाओं, रिपोर्टों तथा पठनीय सामग्री तथा प्रचार माध्यमों से लोगों तक पहुचाया गया ताकि वनों पर निर्भर अति गरीब समुदायों को वन संसाधनों का गुणप्रद व दीर्घकालीन प्रबन्धन सिखाया जा सके । इसके अतिरिक्त वृत चित्रों तथा लघु फिल्मों के माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया गया।

यद्यपि हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना प्रायोगिक तौर पर प्रदेश की 85 पंचायतों में आरम्भ की गई थी लेकिन इन पंचायतों में लोगों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा वन भूमि से जुड़े दूसरे विभागों की सकिय भागीदारी से जहां एक ओर लोगों को आजीविका के अनेक साधन मिले हैं वहीं दूसरी ओर उनमें वन संरक्षण के प्रति नई सोच का सूत्रपात हुआ है।

परियोजना कार्यकाल सम्पन्न होने के साथ ही हमारा लोगों से आग्रह है कि वे परियोजना के अन्तर्गत बनायी गई सम्पति को अपनी सम्पति समझ कर इसका समुचित उपयोग करें। परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश की 85 पंचायतों में लाखों रूपये के संसाधन जुटाये गये हैं जिसमें चारा उगाना, पानी के टैंक, तालाब, वाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर, बावड़ियां, चैकडैम, कूहल, नहरें, श्मशानघाट का निमार्ण तथा पौधारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। इन संसाधनों के रखरखाव के लिए स्थापित किए गये विशेष कोष (Ward Maintenance Fund) के माध्यम से समय समय पर इनका जीर्णोद्धार किया जाए जिससे लम्बे समय तक इन संसाधनों से लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त लोग परियोजना के अन्तर्गत स्थायी आजीविका के उपार्जन हेतु कराये गये विभिन्न प्रशिक्षणों तथा सूक्ष्म योजना से प्राप्त अनुभवों के आधार पर दूसरे विभागों के साथ कार्य की शैली से लाभ प्राप्त करे। इसी से परियोजना की सार्थकता सिद्ध होगी।

आर. के. सूद
परियोजना निदेशक
हिमाचल प्रदेश वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना

'बिग गुड आइडिया फंड' योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई राशि का ब्यौरा

क्र. सं	गैर सरकारी संगठन का नाम	राशि (रुपये)
1	सेवा, धार कलहारी मोहल्ला अर्की जिला सोलन	605000
2	हिमाचल मानव सेवा रूपा काटेज ग्राम एवं डाकखाना चौपाल	200000
3	हिमालयन पर्यावरण एवं विकास समिति कमल कुज आंजी बरोग रेलव स्टेशन, सोलन	240000
4	हिमालयन फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट कानिफर कैम्पस पंथाघाटी, शिमला	567000
5	इन्डियन ग्रासलैण्ड एंड फोडर रिसर्च इन्सटिच्यूट (IGFRI) चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जिला कांगड़ा	240000
6	आर्गेनाइजेशन फार इकोलॉजी कन्जर्वेशन (OECEED) आनंद निवास, शिमला–9	600700
7	देवधार एजुकेशन सोसाइटी हास्पीटल रोड मण्डी	514000
8	हिमालयन फांउडेशन पोस्ट आफिस बिल्डिंग ढली शिमला	237750
9	इन्टैक एरा होम शिमला	520000
10	पच्छाद किसान सुधार सभा चूड़धार राजगढ़ जिला सिरमौर	500000
11	ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण समिति हीरपुर, पांवटा साहिब जिला सिरमौर	552000
12	युमद्धा नजदीक दिल्ली गेट, नाहन सिरमौर	430200
13	जन कल्याण सेवा संस्था टिकरी चौपाल जिला शिमला	131500
14	म्यूज लाम्हो रेस्ट हाउस काजा स्पीति	525000
15	मानव कल्याण सेवा समिति कराई तहसील चौपाल जिला शिमला	200000
16	आरती राजगढ़ जिला सोलन	500000
17	रूचि टैक्नलौजी कम्पलैक्स ग्राम बन्ध, डाकखाना भगुड़ी जिला सोलन	400000
18	RTDC घुघरनाला रोड़ चाणक्यपुरी कालौनी पालमपुर जिला कांगड़ा	300000
19	अंबुजा सीमैंट फाउंडेशन ग्राम सूली, डाकघर दाडलाघाट जिला सोलन	600000
20	विमर्श एवं एस जे वी एस एस रक्षित निवास कसुम्पटी शिमला	660000
21	एस ई आर ए ईरा परिसर श्याम नगर, खुडियां	731300
22	ढाडवा, सिराज सदन पंथा घाटी, शिमला	522425
23	हिमाचल प्रदेश वलैन्टरी हैल्थ एसोसियेशन (HPVHA) बी–37 फेज–1 न्यू शिमला	510000
	कुल	**10286875**

नंगी धरती करे पुकार,
वृक्ष लगा कर करो श्रृंगार ।

वन संरक्षण में आवश्यक है लोगों की भागीदारी

वन एक ओर जहां प्रकृति की एक अमूल्य निधि है वहीं दूसरी ओर मानव अस्तित्व की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। निरन्तर विकास के इस दौर में विश्व के तापमान में लगातार बढ़ोतरी, बढ़ते प्रदूषण, बाढ़ तथा भू–स्खलन जैसी अनेक समस्याओं के कारण आज मानवता के समक्ष अस्तित्व का संकट गहराता जा रहा है। अतः वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वन न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं अपितु मानव जीवन के लिए शुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वनों के महत्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक वृक्ष अपने पूरे जीवन में चारा, ईंधन, लकड़ी उपार्जन आदि से लगभग 56 लाख रूपये की सेवाएं प्रदान करता है। आज समूचे विश्व में वनों के संरक्षण के लिए पूरी कोशिश की जा रही है तथा आम आदमी को इसके महत्व के बारे में जागरूक कर इनका अंधाधुंध कटान न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

वन संरक्षण आज विश्व के सामने एक मुख्य मुद्दा उभर कर सामने आया है जिसमें आम आदमी की सहभागिता और इस विषय में जागरूकता परम आवश्यक है। हालांकि वन संरक्षण के लिए जो विधि विधान बने हुए हैं, इन विधानों में कुछ कठोरता भी की गई है लेकिन फिर भी वनों का अस्तित्व आज खतरे में है। इसके कई कारण हैं जिसमें लोगों की अज्ञानता और इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार– प्रसार की कमी। इस अज्ञानता का कारण वनों से सम्बन्धित साहित्य का सरल एवं रूचिकर भाषा में अनुवाद न होना तथा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों के आवश्यक प्रचार का अभाव है जिससे सूचनाएं आम आदमी तथा वनों पर निर्भर लोगों तथा संबन्धित विभागों तक नहीं पहुंच पाती है।

हिमाचल प्रदेश अपनी वन सम्पदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है। उत्तरी भारत की प्रमुख नदियों में जल का निरंतर प्रवाह पहाड़ी राज्यों को वनों की देन है। हमारे प्रदेश व निचले राज्यों की आर्थिक उन्नति में भी वनों की अहम भूमिका रहती है। प्रदेश के अधिकतर लोग वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन, बिरोजा, बालन और पशुओं का चारा इत्यादि की जरूरतें पूरी करने के लिये वनों पर निर्भर रहते हैं। वनों के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार तथा वन विभाग काफी सजग है और वनों के संरक्षण, विकास एवं संवर्द्धन के लिए निरन्तर कार्य जारी है।

हिमाचल एक नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसे अभी अपना अन्तिम स्वरूप लेना है इसकी पारिस्थितिकीय प्रणाली जैव विविधता एवं भू– संसाधन अत्यन्त संवेदनशील है। लेकिन इस क्षेत्र में विभिन्न विद्युत, परिवहन एवं संचार कार्यों से पारिस्थितिकीय प्रणाली का स्तर गिरा है। नदियों में तलछट का प्रवाह बढ़ा है, भू– क्षरण में वृद्धि, चरागाहों में कमी तथा वन्य प्राणियो की प्रजातियों व संख्या में कमी हुई है। इसके लिए निरन्तर वनीकरण एवं ऊंचे पर्वतीय चारागाहों के सुधार, जड़ी बूटियों के विकास एवं संवर्धन, सक्रिय भू–स्खलन को स्थिर करना, नालों का उपचार और वानिकी संबधित मूलभूत ढांचों का विकास करना जैसे कार्यों की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश में जलवायु विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। प्रदेश में वनों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है– नुकीली पत्ती वाले (शंकुधारी) और चौड़ी पत्ती वाले। पूरे देश में 45,000 वनस्पति की प्रजातियां में से लगभग 3295 प्रजातियां यहां पाई जाती है तथा 5 प्रतिशत अन्य स्थानीय है। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 55673 वर्ग किलोमीटर में से 37033 वर्ग कि0 मी0 वन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें 14,353 वर्ग कि0 मी0 हरित पटटी 8,976 वर्ग कि0 मी0 घने वन, 5,377 वर्ग कि0 मी0 मुक्त वन क्षेत्र (Open Forest Area) 370 वर्ग कि0 मी0 अन्य श्रेणी में आता है, जिसका वन विभाग द्वारा प्रबन्धन किया जाता है तथा 748 वर्ग कि0 मी0 ऐसा क्षेत्र है जिसे वन विभाग के अतिरिक्त अन्य श्रेणी द्वारा व्यवस्थित किया जाता है।

वनों के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार तथा वन विभाग काफी सजग है और वनों के संरक्षण, विकास एवं संवर्द्धन के लिए कार्य निरन्तर जारी है। हिमाचल प्रदेश में समृद्ध जैव विविधता तथा पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखते हुए अगर दोहन किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। प्राकृतिक स्रोत विशेषकर वन तथा जल नाजुक हिमालयी पर्यावरण के सन्तुलन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार एकीकृत वाटर शैड विकास परियोजना, मरूस्थल विकास परियोजना वनक्षेत्र सुधार कार्यकम तथा अनेक अन्य बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से हिमालय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है और इस कार्य के लिए समुचित धन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन कार्यक्रमों की सफलता के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग तथा लोगों की भागीदारी आवश्यक होती है। इस दिशा में हिमाचल वानिकी क्षेत्र सुधार परियोजना द्वारा पिछले चार वर्षों में सहभागिता की एक अच्छी मिसाल कायम की गई है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इस परियोजना द्वारा वन संरक्षण में लोगों की सक्रिय भागीदारी का जो दौर आरम्भ किया गया है उसे निरन्तर गति प्रदान की जाए।

आलेख एवं संकलन : डी. डी. शर्मा

विज्ञापन